यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

कदमा नं0 175 / 2023

I.D. 428/2023 प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा तारीख रजू :- 19-9-2023

शल आई0डी0 नम्बर 2023 /

उनवान

ोगा पुत्र किशन जाति माली निवासी अग्रसेन कॉलोनी बरगमा रोडा हिण्डौन जिला रौली राजस्थान

---सायल

बनाम

इन सिह पुत्र भौरीलाल वगै0 जाति माली निवी बधवाडा तहसील हिण्डौन जिला करौली स्थान

---गैरसायलान-15

ांक	फर्द अहकाम	
9.23	आज यह प्रार्थना पत्र सायल की ओर से श्री राधेश्याम शर्मा एडवोकेट ने उपस्थित होकर पेश किया। प्रार्थना पत्र पर वकील सायल को एकतरफा सुना गया। सायल के हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड के कब्जेकाश्त व उपयोग –उपभोग में बाधा मजाहमत न तो स्वयं करे न ही किसी अन्य से कराने हेतु गैरसयाल को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी आदेश तक पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी आदेश तक पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 7579, 7578 वाकेग्राम कस्बा हिण्डौन में आगामी तिथी तक सायलान के हिस्से तक की भूमि मे रिकॉर्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखें एवं तलबी गैरसायलान को रजिस्टर्ड तामील जारी हो। रजिस्टर्ड तलवाना आगामी तारीख पर पेश नहीं किये जाने की दशा में सुमोटो स्थगन आदेश निष्प्रभावी माना जावेगा। बाद रजिस्टर्ड तलवी पत्रावली दिनांक 19.10.2023 को पेश हों। (सुरेश कुमार हरसोलिया) उप खण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली	
10/10/23	पत्रावली आज मिसल तलबी के प्राप्त पर पेश हुई। सायल व सायल वकील उपस्थित। सायल व सायल वकील ने अवगत कराया कि सायल व सायल वकील प्रकरण की पैरवी नहीं करना चाहते हैं। प्रकरण आगे चलाना नहीं चाहते हैं। अतः मु0 क0 175/23 T.I. दरोगा लाल सिंह के प्रेम से समाप्त किया जाता है। पत्रावली मिसल शुमार होकर दफ्तर में रखी जावे।	NOT PRESS 10/10/23

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)